न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 29/2016
GCMS No : 2016/00045

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 — प्रार्थी

बनाम

श्री कुशाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत साकिन भानीसर हरावता, तहसील सुजानगढ — अप्रार्थीगण

(वारिसान–गीता कंवर पत्नी कुशाल सिंह, यशोदा कंवर, शंकर सिंह, किसन सिंह पि0 श्री कुशाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह राजपूत साकिन भानीसर हरावता, तहसील सुजानगढ)

उपस्थिति :

1. श्री मोतीलाल – पैरोकारराज
2. श्री विजय कुमार पारीक – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 13–03–2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 29–10–2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 09–06–2006 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, नाचना–1 के चक 10 जेडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 189/18 में 11–00 बीघा कमाण्ड व 2–00 बीघा अनकमाण्ड कुल 13–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा इसके पश्चात उक्त आवंटित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित होने से दिनांक 05–07–2006 को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 6–7 बीएम के मु0नं0 112/63 में 11 ता 25 कुल 15–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली में भूमि आवंटन की लॉटरी की पर्ची संलग्न नहीं है जिससे आवंटन ही संदिग्ध हो जाने से आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गयी है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी की पात्रता 14–18 बीघा ही थी। पात्रता से अधिक आवंटन हुआ है। मौके पर आबाद/काश्त नहीं है। उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा उक्त आवंटन आदेश नियम 1975 एवं राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत होने के कारण नियम 22(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 05–07–2006 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 6–7 बीएम के मु0नं0 112/63 में 15–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार

विनिमय में किये गये आवंटन को नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील ने उपस्थित होकर बहस की। बहस के अनुसार अप्रार्थीगण के वकील ने कहा कि अप्रार्थीगण के पिता श्री कुशालसिंह साकिन भानीसर हरावता, तहसील सुजानगढ़ राजस्थान के मूल निवासी थे तथा पेशे से सदभावी काश्तकार थे। भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर राज्य सरकार की नीति एवं नियमानुसार कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व पात्रता के आधार पर दिनांक 09–6–2006 को उपनिवेशन तहसील, नाचना–1 के चक 10 जेडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 189/18 में 11–00 बीघा कमाण्ड व 2–00 बीघा अनकमाण्ड कुल 13–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण दिनांक 05–07–2006 को भूतपूर्व सैनिक श्री कुशालसिंह को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ़–1 के चक नम्बर 6–7 बीएम के मु0नं0 112/63 में 11 ता 25 कुल 15–00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को डबल आवंटन होने के कारण ऐसे अलाटियों को अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार ही अप्रार्थी को सक्षमता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की जानी थी जो की गयी। यह प्रकरण डबल आवंटन होने के कारण अन्य भूमि का आवंटन करने का है। विनिमय का प्रकरण नहीं बनता है। इस कारण नोटिस खारिज योग्य है। डबल आवंटन के प्रकरण विनिमय समिति में रखे जाने का दायित्व आवंटन अधिकारी का है। यह कार्य अलोटी द्वारा नहीं किया जाता है अपितु कार्यालय द्वारा संचालित एवं संरक्षित होता है जिस पर अलोटी का किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं होता है। आफिशियल मिस्टेक के लिये पार्टी को पेनेलाईज नहीं किया जा सकता। इस बाबत नजीर भी पेश की। नोटिस में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि उक्त आवंटन अगेंस्ट लॉ कैसे हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व निरस्त योग्य है। धारा 22 के नोटिस में कारण अंकित किये हैं वो केवल तकनीकी बिन्दु हैं तथा उक्त कार्रवाई कार्यालय से संबंधित है अप्रार्थी से नहीं। इस कारण टेक्नीकल बिन्दु पर उक्त आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पर्ची पर हस्ताक्षर होना, न होना यह विभाग की गलती है। आवंटी को दण्डित नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय भी इसी बिन्दु पर हो चुके हैं। भूमि का आवंटन 20 वर्ष पूर्व हुआ है। इतने वर्षों पश्चात गलत आधार पर भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। वकील अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण विनिमय का मानकर श्रीमान द्वारा कार्रवाई की जा रही है जबकि विनिमय का अर्थ एक्सचेंज से है। एक्सचेंज की परिभाषा आवंटन नियम, 1954 की धारा 12 में दिया गया है। धारा 12 के मुताबिक उक्त प्रकरण उस परिधि में नहीं आता है। इस कारण जो कार्रवाई की गई है वो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने निवेदन किया है कि आवंटन के 6–7 वर्ष बाद 22(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इतने वर्षों के बाद में धारा 22(3) की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहां मियाद नहीं दी गयी है वहां धारा 137 मियाद अधिनियम के तहत 3 वर्ष की अवधि मानी जाती है। भूमि का अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त कर लिया गया था तथा भूमि की किश्त भी जमा करवा दी गयी थी। वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम उक्त भूमि रिकार्ड में दर्ज है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार को आवंटन होने के 6–7 वर्ष तक कोई अनियमितता नजर नहीं आई है। अब उस आवंटन आदेश इतने लम्बे अन्तराल के बाद धारा 22(3) की कार्रवाई की गई है। अब तहसीलदार डॉक्टरीन ऑफ एस्टोपल से बाधित है। आवंटन पूर्व में हुए आवंटन की एवज में किया गया है। इस कारण बार–बार सलाहकार समिति की राय नहीं ली जा सकती। दिनांक 05–07–2006 को किया गया आवंटन, पूर्व आवंटन के बदले में अन्यत्र भूमि का है व अप्रार्थीगण के पिता की पात्रता 14–18 बीघा भूमि की थी व आवंटन 15–00 बीघा का किया गया है जो पात्रता से 0–02 बीघा भूमि ही अधिक है जो नियमानुसार स्मालपेच में आवंटन की गयी है। अतः नियम 22(3) प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकारराज व अप्रार्थी की बहस, प्रस्तुत नजीरों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत नियम 22(3) के प्रार्थना पत्र में सुनवाई एवं कार्रवाई हेतु आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत आवंटन अधिकारी द्वारा किये गये नियम विरूद्ध आवंटन को रद्द करने की शक्तियां प्रदत्त है जिसमें मियाद लागू नहीं है। राज्यपक्ष द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नियम 22(3) के प्रार्थना पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है जिसके संबंध में संबंधित रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है कि मूल आवंटन दिनांक 09–06–2006 को किया गया था। तत्पश्चात उक्त रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण उक्त प्रकरण दोहरे आवंटन का होने के कारण विनिमय समिति के समक्ष रखा जाना था जो आवंटन अधिकारी द्वारा नहीं रखा गया। भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12(क) के अन्तर्गत जरिये लॉटरी आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से भूमि आवंटन किया जाना था परन्तु प्रकरण में दिनांक 05–07–2006 को बिना आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर pick and choice से उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक नम्बर 6–7 बीएम के मु0नं0 112/63 में 11 ता 25 कुल 15–00 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन कर दिया गया।

ऐसी स्थिति में उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–1 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05–07–2006 को निरस्त किया जाता है। कब्जा बहक सरकार लिया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में जांच करें और यदि अप्रार्थीगण को भू0पू0सैनिकों के वरिसों के नाते अन्यत्र भूमि के आवंटन का अधिकार है, तो नियमानुसार समीक्षात्मक परीक्षण कर जरिये लॉटरी आवंटन सलाहकार समिति में भूमि आवंटन करें।

निर्णय प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 13–03–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर